

अभिलेख उपस्थापित। आवेदक विक्रेता सुशील खलखो, पिता- स्व० दनियल खलखो, निवासी ग्राम- नीमडीह टोला तुरीटोला, थाना- मुफ्फसिल, जिला- पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा ने मौजा- नीमडीह, थाना नं०- 641 के अन्दर खाता नं०- 66, प्लॉट नं०- 155, 156, रकवा- 0.01+0.11½, कुल रकवा- 0.12½ एकड़ भूमि क्रेता हरदुगन किस्पोटा, पिता- स्व० जोहन किस्पोटा, निवासी ग्राम- नीमडीह टोला तुरीटोला, थाना- मुफ्फसिल चाईबासा के पास में बिक्री के द्वारा हस्तान्तरित करने की मांग की गई है। इस संबंध में छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(1) (ए) के अन्तर्गत इस न्यायालय से उपरोक्त प्लॉट की बिक्री हेतु आम सूचना निर्गत किया गया।

अंचल अधिकारी, सदर चाईबासा से जाँच प्रतिवेदन की माँग की गई, जो प्राप्त हुआ। विक्रेता के द्वारा भी इस संबंध में आवश्यक दास्तावेज प्रस्तुत किया गया। दास्तावेज के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि आवेदित भूमि आवेदक के पिताजी के नाम से खतियान में दर्ज है। पिता के मृत्यु पश्चात् अपने हिस्से में प्राप्त भूमि है। आवेदक का आवेदित भूखंड पर शांतिपूर्ण दखल है।

अंचल अधिकारी, सदर चाईबासा का जाँच प्रतिवेदन पत्रांक- 1186, दिनांक- 19.11.2018 एवं विक्रेता द्वारा प्रस्तुत आवश्यक दास्तावेजों के अवलोकन से ज्ञात होता है कि ईलाज एवं मकान निर्माण हेतु रूपये की आवश्यकता होने के कारण भू-खण्ड को क्रेता हरदुगन किस्पोटा, पिता- स्व० जोहन किस्पोटा, निवासी ग्राम- नीमडीह टोला तुरीटोला, थाना- मुफ्फसिल चाईबासा के पास 7,50,000.00/- (सात लाख पचास हजार रूपये) में बिक्री करना चाहते हैं। इस संबंध में किसी को किसी प्रकार का आपत्ति प्राप्त नहीं हुआ है। जाँच प्रतिवेदन से यह स्पष्ट होता है कि विक्रेता एवं क्रेता दोनों एक ही थाना के निवासी है। उक्त दोनों अनुसूचित जन जाति के सदस्य हैं। ईलाका मानकी का बिक्री करने संबंधी अनुशंसा प्रतिवेदन प्राप्त है जो अभिलेख में संलग्न है।

उपरोक्त प्लॉट की बिक्री के पश्चात् आवेदक के पास शेष 2.00 एकड़ भूमि से ज्यादा बचता है। आवेदक के पास भरण पोषण हेतु पैत्रिक भू-सम्पत्ति समुचित है।

अतः अंचल अधिकारी, सदर चाईबासा एवं ईलाका मानकी के अनुशंसा के आलोक में विक्रेता सुशील खलखो, पिता- स्व० दनियल खलखो, निवासी ग्राम- नीमडीह टोला तुरीटोला, थाना- मुफ्फसिल, क्रेता हरदुगन किस्पोटा, पिता- स्व० जोहन किस्पोटा, निवासी ग्राम- नीमडीह टोला तुरीटोला, थाना- मुफ्फसिल चाईबासा के पास जमीन को कुल 7,50,000.00/- (सात लाख पचास हजार रूपये) में मौजा- नीमडीह, थाना नं०- 641 के अन्दर खाता नं०- 66, प्लॉट नं०- 155, 156, रकवा- 0.01+0.11½, कुल रकवा- 0.12½ एकड़ जमीन को बिक्री करने हेतु छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 (1)(ए) के अन्तर्गत बिक्री द्वारा हस्तांतरण करने की ... दी जाती है।

लेखापित्त

भूमि सुधार उपसमाहर्ता  
सदर चाईबासा।

भूमि सुधार उपसमाहर्ता  
सदर चाईबासा।